| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>रजनीदेवी वगै० बनाम नवलदेई वगै० | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21/1/26 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 24/1/26 को पेश हो। | |
| 24/1/26 | पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |

RPU

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)**
**प्रार्थना पत्र कमांकः— 187/2024**

1. रजनीदेवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति कुशवाह निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।
2. रामहंस पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कुशवाह निवासी पिचूना तहसील उच्चैन नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक मां रजनी देवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति कुशवाह निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नवलदेई पत्नि सतीश जाति कुशवाह निवासी नगला बहराबली तहसील उच्चैन।
2. सुनीता पत्नि रामखिलाडी जाति कुशवाह निवासी अस्तल तहसील नदबई।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

**निर्णय** **दिनांकः—22.01.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1689/0.47, 1753/0.49, 1665/0.18, 1667/0.45, 1668/0.20, 1669/0.23, 1690/0.42, 1737/0.53, 1752/0.32, 1919/1.00, 1663/0.41, 1664/0.11, 1771/0.66, 1790/0.76, 1918/0.02है0 बाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कभी भी किसी भी हैसियत से सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं रहा है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा एवं काश्त किसी भी हैसियत से नहीं रही है। प्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रार्थीया सं0 1 का नाबालिग पुत्र है एवं मुझ प्रार्थीया के पति की मृत्यू हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण इसी बात का फायदा उठाकर मुझ प्रार्थीया की उक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा कर एवं मुझे मेरी आराजी से बेदखल कर एवं मेरे विरूद्ध झूठे मुकदमे लगाकर मुझ प्रार्थीया को परेशान कर गांव पिचूना से भगाना चाहते है एवं मेरी आराजी को हडपना चाहते है। दिनांक 5.8.2024 को जब प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी की आराजी में खडी बाजरे की फसल में खाद दे रही थी तभी अप्रार्थीगण मौके पर आ गये तथा आते ही विवादित आराजी से प्रार्थीया को बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीया ने अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु एक वाद पत्र इस न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

में पेश किया है एवं उक्त वादपत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु पेश किया है।

प्रकरंण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.05.2025 को अप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर अदालत नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यबाही अमल लायी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पति का देहान्त हो चुका है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण विवादित आराजी से प्रार्थीया को बेदखल करना चाहते है एवं उसको गांव से भगाना चाहते है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ पेश शपथ पत्र एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 बाके ग्राम पिचूना का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्टर्ड तामील अदालत में हाजिर भी नहीं आये है। ऐसी स्थिति में प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के हक में बाखूबी साबित होते है।

**अतः आदेश हैः–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1689/0.47, 1753/0.49, 1665/0.18, 1667/0.45, 1668/0.20, 1669/0.23, 1690/0.42, 1737/0.53, 1752/0.32, 1919/1.00, 1663/0.41, 1664/0.11, 1771/0.66, 1790/0.76, 1918/0.02है0 बाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर